तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **चैनाराम जाट बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर–तृतीय, जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 59/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2022	अपीलार्थी चैनाराम जाट पुत्र जगदीशराम, निवासी ग्राम जवासिया, पोस्ट रियां सेठों की, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.01.2022 में उसके द्वारा भंवरलाल जांगिड़, भू.अ. निरीक्षक तहसील पीपाड़ शहर के विरूद्ध उक्त के संबंध में कूटरचित दस्तावेज पेश कर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने के विरूद्ध श्रीमान संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर में शिकायत पेश की गई थी। उक्त कार्यालय के पत्रांक 21/802 दिनांक 22.06.2021 के सन्दर्भ में कार्यालय जिला कलक्टर (भू.अ.) जोधपुर के पत्रांक भू.अ./विविध जांच/2021/5917 के द्वारा उक्त जांच अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर को उक्त प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय टिप्पणी के शीघ्र भिजवाने का निर्देश दिये गये थे। जिसकी एक प्रति प्रार्थी को जरिये पत्रांक सम/2021/5918–19 दिनांक 06.07.2021 के द्वारा प्रदत की गई। तथा उक्त के बाद जांच अधिकारी द्वारा उक्त कार्यालय के पत्रांक संस्था/जांच/2021/2044 दिनांक 12.11.2021 के पत्र द्वारा प्रार्थी को उक्त शिकायत बाबत दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के संबंध में कार्यालय हाजा में दिनांक 29.11.2021 को समस्त दस्तावेज पेश किये गये थे। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दर्शाये गये प्रकरण की जांच की प्रगति रिपोर्ट की सम्पूर्ण पत्रावली मय जांच टिप्पणी की प्रतिलिपि एवं (2) अन्य बिन्दू से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–तृतीय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–तृतीय, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर–तृतीय, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–तृतीय, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 17:26:56 IST
Reason: SelfAttested